न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./2006/778/करौली

1– रामखिलाड़ी पुत्र जोहरी,
2– हीरालाल पुत्र जोहरी,
जाति जौबदार, निवासी सोमली, तहसील हिण्डोन, जिला करौली।

.....अपीलांट्स

बनाम

1– जगदीश (मृतक) पुत्र कंचनसिंह, गेनोलिया ठाकुर (चौबार)
के कायम मुकामः–

(1) हेमन्त कुमार)
(2) परलोप कुमार) पुत्रान जगदीश सिंह
(3) गजेन्द्र सिंह)

(4) आशादेवी)
(5) कलावती) पुत्रीयां जगदीश सिंह
(6) सुनिता)
सभी जाति गेनोलिया ठाकुर (चौबार) निवासी सी–125, फलेट नं. एस–4, शालीमार गार्डन एक्स टेंशन साहिबाबाद दिल्ली।

2– राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, हिण्डौनसिटी जिला करौली।

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य
श्री भंवरलाल मेहरडा, सदस्य

उपस्थित :–
श्री शैलेन्द्र राणा, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री माधवराज सिंह, अभिभाषक रेस्पो.

दिनांक : 27 जनवरी, 2021

निर्णय

1– यह अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27–1–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोन्डेन्ट / वादी की ओर से एक वाद न्यायालय उप जिला कलेक्टर, हिण्डौन के समक्ष बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणा व हुक्त ईम्ताई द्वामी इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 294/2 रकबा 14 बीघा वाके सोमली वादी के कब्जे काश्त, खातेदारी की है। वादी की उक्त भूमि के उत्तर में खसरा संख्या-291 गैर मुमकिन नाला हाल खसरा नम्बर 238 है, जिसका खसरा संख्या-238/3 पहले गयासी पुत्र सांवलिया, जाति चौबदार के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि थी, जिसकी मृत्यु लाऔलाद होने पर रामखिलाड़ी तथा हीरा ने आराजी अपने नाम करा ली। वादी के खसरा संख्या 294/2 के उत्तरी पश्चिमी भाग की भूमि नये खसरा नम्बर 478/861 रकबा 44 एयर व खसरा संख्या 490/862 रकबा 20 एयर बनाकर वादी की खातेदारी से हटाकर हीरालाल, रामखिलाड़ी के नाम कर दी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण का जवाब व प्रस्तुत सम्बन्धित राजस्व अभिलेख का निरीक्षण करते हुये अपने आदेश दिनांक 21-5-2003 द्वारा वादी के वाद को निरस्त फरमा दिया। उक्त आदेश दिनांक 21-5-2003 के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या-1 ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27-1-2006 द्वारा प्रतिवादी संख्या-1 की अपील को स्वीकार करते हुये विद्वान उप जिला कलेक्टर, हिण्डौन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21-5-2003 को निरस्त कर दिया एवं आराजी खसरा नम्बर-478/861 रकबा 0.44 हैक्टेयर व आराजी खासरा नम्बर-480/862 रकबा 0.20 हैक्टेयर पर वादी / अप्रार्थी संख्या-1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3- बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27-1-2006 द्वारा विद्वान उप जिलाधीश, हिण्डौन के आदेश दिनांक 21-5-003 को निरस्त कर अहम कानूनी भूल की है। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व न्यायिक नजीरों का भी अवलोकन नहीं किया है, जो न्यायहित में किया जाना वाजिब था। अतः

अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर का निर्णय अपास्त कर विद्वान उप जिलाधीश, हिण्डौन का निर्णय दिनांक 21–5–2003 को बहाल किये जाने का निवेदन किया।

5– विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार, हिण्डौन सिटी की मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जो न्यायसंगत, तर्कसंगत व विधिसंगत है। भू प्रबन्ध विभाग ने जो नम्बर बनाये वे उलट–पलट बना दिये गये। साबिक खसरा नम्बर 291 के एक तरफ वादी एवं एक तरफ प्रतिवादी के खेत थे। भू प्रबन्ध विभाग ने ऐसे गलत खसरा नम्बर बनाये कि खसरा नम्बर 476/861 रकबा 0.44 हैक्टेयर व 480/862 रकबा 0.20 हैक्टेयर अपीलार्थी के खाते में गलत दर्ज कर दिये जो कि ये खसरा नम्बर 291 नाले के दूसरी तरफ अप्रार्थीगण की तरफ थे। वास्तव में उक्त दोनों खसरा नम्बर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होने चाहिये, लेकिन भू प्रबन्ध विभाग ने इन खसरा नम्बर को अपीलार्थी की खातेदारी में गलत दर्ज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार को मौका कमिशनर नियुक्त किया और मौका रिपोर्ट के आधार पर उक्त दोनों खसरा नम्बर पर कब्जा अप्रार्थीगण का माना गया। अतः उन्होंने दावा डिक्री करते हुये उक्त दोनों खसरा नम्बर अप्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये, जो सही थे। अपीलार्थी को ऐसे ठोस सबूत प्रस्तुत करने थे जिससे उक्त निर्णय गलत साबित हो, लेकिन अपीलार्थी ने ऐसे कोई साक्ष्य व तथ्य प्रस्तुत नहीं किये। इसलिये अपील सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

7– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोनसिटी ने एक तनकी बनाई थी वह इस प्रकार है :–

1– आया वादी की खातेदारी साबिक खसरा नम्बर–294/2 रकबा 14 बीघा वाके ग्राम सोमली के सही नये नम्बर–478/861 व 480/862 है व इन पर वादी का ही कब्जा काश्त होने के कारण वादी इनकी खातेदारी व रिकार्ड दुरूस्ती का अधिकारी है,

2– दादरसी.

.....वादी

8– प्रकरण में मुख्य विवाद साबिक व हाल खसरा नम्बर का है। यह निर्विवाद है कि वादी का साबिक खसरा नम्बर–294/2 रकबा 14 बीघा था।

इसे हैक्टेयर में बदलते हैं तो यह 3.50 हैक्टेयर बनता है। अप्रार्थी जगदीश ने अपने बयान पी.डब्ल्यु.–1 में स्वीकार किया है कि उसके खाते में 3.66 हैक्टेयर भूमि है जो कि 3.50 हैक्टेयर से ज्यादा है, कम नहीं है। जब उसके पास उसकी खातेदारी की भूमि के बराबर या उससे अधिक भूमि है तो फिर झगड़ा किस बात का है? फिर अप्रार्थी जगदीश को खसरा नम्बर 478/861 व 480/862 क्यों चाहिये, जबकि ये दोनों खसरा नम्बर अपीलार्थी की खातेदारी में थे। अपीलार्थी के खाते में साबिक खसरा नम्बर 238/3 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा था जिसके भू प्रबन्ध विभाग ने हाल खसरा नम्बर–457, 458, 459, 463, 464, 465, 478/861, 480/862 कुल किता 8 रकबा 2.22 हैक्टेयर बनाये हैं जो साबिक रकबा के बराबर हैं अथवा कुछ ज्यादा। इस प्रकार जब दोनों पक्षकारों के पास भूमि साबिक रकबा के बराबर या उससे कुछ ज्याद थी तो फिर विवाद अनावश्यक है।

9– इस वाद में केवल एक तनकी बनी है जिसे सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ने जो राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया है उसके अनुसार खसरा नम्बर–478/861 व 480/862 रकबा क्रमशः 0.44 व 0.20 हैक्टेयर कुल रकबा 0.64 हैक्टेयर पर अपीलार्थी खातेदार काश्तकार हैं। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार ये दोनों खसरा नम्बर–238/3 से बनने पाये जाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ये दोनों खसरा नम्बर–478/861 व 480/862 साबिक आराजी खसरा नम्बर–238/3 से बने हैं जो अपीलार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हैं। वादी / अप्रार्थी जगदीश ने अपने बयानों में स्वयं कहा है कि उसे 14 बीघा भूमि चाहिये और जो उसके पास है वह 3.66 हैक्टेयर है जो कि 14 बीघा से 0.16 हैक्टेयर ज्यादा है फिर उसका दावा हाल खसरा नम्बर–478/861 व 480/862 पर कैसे हो सकता है?

10– जहां तक कब्जे की बात है वादी / अप्रार्थी ने पी.डब्ल्यू.–1 जगदीश के बयान दर्ज करवाये हैं। स्वयं वादी जगदीश ने अपने बयानों में जिरह के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसके कब्जे काश्त में 3.66 हैक्टेयर भूमि है जबकि साबिक रकबा 14 बीघा के हिसाब से उसके कब्जे में केवल 3.50 हैक्टेयर भूमि ही होनी चाहिये। खसरा नम्बर–478/861 व 480/862 पर वादी / अप्रार्थी का कब्जा कैसे है यह उसने नहीं बताया है। यदि एक बार विपरीत कब्जा भी मान लिया जाये तो विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने बाबत कोई प्रावधान नहीं हैं।

11– चूंकि प्रकरण में केवल एक तनकी बनी है और उस पर ही निर्णय होना चाहिये। वादी ने अपने दावे में आराजी खसरा नम्बर 294/2 रकबा 14 बीघा का ही जिक्र किया है, ना कि खसरा नम्बर 294 रकबा 23 बीघा 7 बिस्वा का। इस प्रकार वादी अपने दावे के कथनों से अपील में बाहर जा रहा है जिसकी उसे इजाजत नहीं दी जा सकती है। हमें तो केवल दावे व जवाब दावे के आधार पर कायम की गई तनकी संख्या–1 पर ही निर्णय पारित करना है। जब एक बार वादी ने अपना दावा साबिक खसरा नम्बर 294/2 रकबा 14 बीघा का प्रस्तुत किया है जिसमें वह स्वयं कथन कर रहा है कि उसके हाल खसरा नम्बर 478/0.90, 479/0.01, 480/0.01 व 482/1.74 किता 4 रकबा 3.66 हैक्टेयर बने हैं जो कि 14 बीघा से कुछ ज्यादा ही है तो फिर आराजी खसरा नम्बर 478/861 व 480/862 का कोई संबंध वादी/अप्रार्थी जगदीश से कैसे हो सकता है?

12– विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने अपना जो निर्णय पारित किया है उसका मुख्य आधार है तहसीलदार की मौका रिपोर्ट। परन्तु यहां पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वाद में जब राजस्थान सरकार को प्रतिवादी बनाया गया था और प्रतिवादी राजस्थान सरकार जिसका भूमिधारी तहसीलदार होता है, ने रिकार्ड व मौका की स्थिति अपने जवाबदावे में क्यों नहीं प्रस्तुत की? तहसीलदार अपना जवाबदावा प्रस्तुत करता, जिसके आधार पर तनकियां बनर्ती। उभयपक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते। लेकिन तहसीलदार ने जवाबदावा प्रस्तुत करना उचित नहीं समझा।

13– अतिरिक्त साक्ष्य गढ़ने के इरादे से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–26 नियम–9 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जिसे विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने स्वीकार कर तहसीलदार हिण्डौन को मौका कमिश्नर नियुक्त कर दिया व मौका की रिपोर्ट मंगवा ली। उक्त मौका रिपोर्ट को अपीलार्थी ने चुनौती भी दी लेकिन विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने उन पर ध्यान नहीं दिया और तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर विवादित खसरा नम्बर 478/861 व 480/862 को अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। तहसीलदार हिण्डौन ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 4–6–2005 में अंकित किया है कि **''जानकारी के अनुसार जगदीश पुत्र कंचनसिह, जाति चौदार निवासी सोमली का कब्जा चला आ रहा है।''** तहसीलदार हिण्डौन ने उक्त जानकारी का स्त्रोत नहीं बताया है। उन्हें किसने बताया और किनके समक्ष बताया कि कब्जा जगदीश का है। क्या उस समय अपीलार्थी या उसका कोई प्रतिनिधि उपस्थित था? यदि एक बार यह मान भी लिया जाये कि उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थी जगदीश का कब्जा है तो क्या विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,

1955 के अन्तर्गत इस प्रकार विपरीत कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है और विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। डीएनजे.–2014(4) (राज.) पेज–1632 एवं डीएनजे.–2012(1) (राज.) पेज–161 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट अभिमत प्रकट किया है कि अतिरिक्त साक्ष्य एकत्रित करने के लिये मौका कमिश्नर की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अतः इस मौका रिपोर्ट को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस कारण यह मौका रिपोर्ट शून्य व निष्प्रभावी है। इसलिये विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर का निर्णय विधि के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

14– अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर का निर्णय दिनांक 27–1–2006 निरस्त किया जाता है और विद्वान उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौनसिटी का आदेश दिनांक 21–5–2003 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवरलाल मेहरडा)
सदस्य

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य